क्रम संख्या–274

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2008 ई०
पौष 05, 1930 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 219 / XXXVI (3) / 39 / 2008
देहरादून, 26 दिसम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2008' पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2008 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, 2008)

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) को उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसंठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

अध्याय–दो

धारा 12 ख का प्रतिस्थापन

2. संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की वर्तमान धारा 12 ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

"12 ख (1) कार्य सम्पादन के लिये ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी, किन्तु दो लगातार बैठकों के बीच दो मास का अन्तर नहीं होगा :

परन्तु यह कि किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक के लिये नियत की जाने वाली तारीख उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर होगी।

2. ग्राम पंचायत की बैठकें ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से आयोजित की जायेंगी, जैसी विहित की जाय।"

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Panchayat Law (Amendment) Bill, 2008' (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 14 of 2008) :--

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 24, 2008.

No. 219/XXXVI(3)/39/2008
Dated Dehradun, December 26, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND PANCHAYAT LAW (AMENDMENT) ACT, 2008
(UTTARAKHAND ACT No. 14 OF 2008)

Further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttarakhand) in the context of the State of Uttarakhand

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty Nineth Year of the Republic of India as follows:--

Chapter-I

1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Panchayat Laws (Amendment) Act, 2008. Short title, Extent and Commencement

(2) It shall come into force at once.

(3) It shall be applicable to the whole State of Uttarakhand.

Chapter-II

2. In the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 (as applicable to the State of Uttarakhand), instead of present section 12-B, the following section shall be substituted, namely :-- Substitution of section 12-B

"12-B (1) A Gram Panchayat shall ordinarily meet for the transaction of business at least once in every month but there shall not be a gap of two months between two consecutive meetings :

Provided that the date to be fixed for the first meeting of Gram Panchayat shall be within thirty days from the date of its constitution.

(2) The meetings of the Gram Panchayat shall be held at such place and in such manner, as may be prescribed."

By Order,

RAM DATT PALIWAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 विधायी/05–2009–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।